

राजेश प्रसाद बनाम जेठम खान प्रापत्र 212 RTA नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04/23 नवील प्रॉपर्टी डेपॉ, प्रायोजन पत्र (12) पर नवील प्रॉपर्टी की एक तरफा बंदस सुनी गई। प्रभावनी नामी आवेदन दिनांक 04/8/23 को किया है।

04/23 प्रभावनी प्रॉपर्टी डेपॉ, नवील प्रॉपर्टी डेपॉ, प्रायोजन द्वारा प्रस्तुत प्रायोजन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर दिनांक 06/06/2023 को इजि. रजि. किया जाकर अप्रॉप्रीएट जेठम खान कोड को जर्मि अक्वािम अस्थाई निर्धारण पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 04/07/2023 तक आ. नं. 902/0.24, 905/0.27 कोडों के तहत नगर तहसील - नगर परीगर व्याप्तियों को रद्द कर संचालित नहीं करें, किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य न करें, मीटर व राजस्व रिकॉर्ड की व्यवस्थापति बनाये रखें।

इसके पश्चात आगामी तारीख पेशी पर अप्रॉप्रीएट सरवां 01 के जेडिस धारिता: नवील पश्चात प्राप्त हुई। परन्तु उपस्थित नहीं हुई। अतः इन्हें विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा अप्रॉप्रीएट सरवां 02 ने जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत करने से मना। उपर्युक्त प्रा. पत्र पर प्रायोजन अधिकारी की एक तरफा बंदस सुनी गई। प्रायोजन के विज्ञान अभिशापक ने अपनी प्रा. पत्र में कथित तथ्यों को दौधारा देते उद्य कि उक्त कथित आरोपों प्रायोजन अप्रॉप्रीएट सरवां 01 की संयुक्त बहाने क्लारत स्वीकृती की आरोप है जिस पर संयुक्त रूप से वापिस रहकर वापस करने वाले आ रहे हैं।

Wish

तारीख  
हुकम

राजेश प्रसाद, वनायक जेठम खान, शांकर प्रसाद  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

परन्तु आराजी सुटव डी कागुनी रूप से लगी गड्ड  
विभाजन नही हुआ है केवल मलबट पर बंध  
रखा है परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 01 सदरशतकार  
दफ्त में व्यवधान चेदा कर रहां है अप्रार्थी नैफिनंग  
05.06.2023 डी उस्मा नगर में रेलानिया दामडी  
की है कि वह लड्ड व तल्ल के बल पर, विभा.  
डी बिना विभाजन शरार्थे दीगर व्यक्तियों की  
रह. कम, गुलतिल करदेगा तथा हिस्सा विरोध पर  
निगमि करने एवं शर्थी डी आराजी सुटव से  
बंदखल कर देगा। यदि अप्रार्थी अपनी उम्त  
धमकी व शरार्थे में कामयाब हो गमागी शर्थी  
की सरख हकतलपी होगी नुबसान भलीम होगी  
जिसकी शर्थी करी नकद से नही हो सकेगी।  
ऐसी शूरत में प्रथम इच्छया, उम्त व सुविधा का  
संतुलन शर्थी के हक में बाबूकी साकिर-  
होगा है अतः जारी सुटा अंतरिम आम्थारि निर्णय  
की पुष्टि वाद डी अंतिम विस्तारण तड की  
जाने की कृपा करें।

शर्थी के विधान अभिशाधक की वदस पर मनन  
किया गया तथा पत्रावली का समग्र महममन/  
अवलोकन किया। इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर  
पहुंचते हैं कि - मुताबिक जमाबन्दी सन्त 2015-  
18 वाले उस्मा नगर कि आर रक. नं. 902/0.24  
905/0.27 रुक. डिता 02 रुकवा 0.51 हे. में  
शर्थी व अप्रार्थी संख्या 01 सदरशतकार के रूप  
में दर्ज है तथा आराजी अनिशाधक है इस प्रकार  
यह उम्त प्रतीत होता है कि वाद डी अंतिम  
विस्तारण तड अंतरिम आम्थारि निर्णय का  
संप्रैष्ट किया जावे।

राजेश प्रसाद बनाम जेठम रतान

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिनांक 06.06.2023

नवंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आतः दिनांक 06.06.2023 की जारी किये  
जाने आदेश अस्माई-निर्वाहक के आदेश की  
इस प्रकार संपुष्ट किया जाता है कि अध्यापिका  
वि. आ. की किसी दिशा-विशेष का उत्तर  
करने हुए या किसी विशेष खसरा नम्बर  
की अपेक्षा अपने संपूर्ण स्वामित्व का बताया  
जाकर रक्षक वक्ता मुंशी न करें तथा मौरा  
की स्थिति को पूर्ववत् बनाये रखेंगे जब तक  
कि वाद का अंतिम निस्तारण (निर्णय) न-  
ही जावे। निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को  
मेरी द्वारा लिखाया जाकर सर्वे व्यायालय में  
सुनाया गया। पत्रावली केसल शुमार होकर  
सर्वंगम मूल वाद रहे।

(<sup>with</sup> विष्णु बंसल)